FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

महेश बनाम राजस्थान सरकार वगेरह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र U/S 136 L.R.Act नम्बर 32 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2016	प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा से जवाब लिया गया प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र से सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– प्रार्थी के खातेदारी एंव कब्जेकास्त की आराजी का खाता संख्या 71 वाके ग्राम चैनपुरा की जमाबन्दी सवंत 2069 से 2072 में प्रार्थी का नाम महेश पुत्र राजाराम दर्ज है जो सही है जबकि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी का खाता संख्या 66 वाके ग्राम चैनपुरा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र राजाराम नाबालिक संरक्षक माता प्रेम बेवा राजाराम दर्ज है जो गलत है प्रार्थी का नाम रमेश के स्थान पर महेश दर्ज किया जाकर माता के सरंक्षता से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा अपने खाता संख्या 71 संवत 2069 से 2072 वाके ग्राम चैनपुरा व खाता संख्या 66 संवत 2069 से 2072 वाके ग्राम चैनपुरा की जमाबन्दी, ग्राम पंचायत ढिकोलिया सरपंच का प्रमाण पत्र, मुलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेश किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खाता संख्या 71 संवत 2069 से 2072 वाके ग्राम चैनपुरा की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम महेश पुत्र राजाराम दर्ज है जबकि खाता संख्या 66 संवत 2069 से 2072 वाके ग्राम चैनपुरा की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र राजाराम नाबालिक संरक्षक माता प्रेम बेवा राजाराम दर्ज है, सरपंच ग्राम पंचायत ढ़िकोलिया के प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि महेश पुत्र राजाराम को ही	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रमेश पुत्र राजाराम के नाम से जाना व पहचाना जाता है महेश पुत्र राजाराम बालिक है मुलनिवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम महेश पुत्र राजाराम दर्ज है पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में खाता संख्या 66 वाके ग्राम चैनपुरा जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में रमेश पुत्र राजाराम नाबालिक संरक्षक माता प्रेम बेवा राजाराम के स्थान पर महेश पुत्र राजाराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध किया जाना उचित माना है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या 66 वाके ग्राम चैनपुरा तहसील उनियारा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में रमेश पुत्र राजाराम नाबालिक संरक्षक माता प्रेम बेवा राजाराम के स्थान पर महेश पुत्र राजाराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें। पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावें। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक	